विवाह में बिल्कुल कमी नहीं हो रही है जबकि बाल विवाह कानून की निगाह में इल्लीगल है । यह कुप्रथा केवल लड़कियों की जिन्दगी नहीं खराब करती बल्कि हमारे परिवार, समाज और राष्ट्र की उन्नति में भी एक बहुत बड़ी बाधा बनती है । इस कुप्रथा को समाप्त करने के लिए सारी की सारी जिम्मेदारी सरकार पर नहीं डाली जा सकती । इसके लिए सामाजिक संगठनों, राजनैतिक दलों, शिक्षकों और साहित्य सभाओं के योगदान की जरूरत है ।

मैडम, मैं सरकार से यही मांग करता हूं कि बाल विवाह संबंधी कुप्रथा को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाए और राज्य सरकारों को इससे संबंधित कानूनों को सख्ती से, ठीक तरह से लागू करने की डायरेक्शन भेजी जाएं ।

श्रीमती उर्मिला चिमन भाई पटेल (गुजरात) : मैडम, मैं इनके साथ जुड़ना चाहती हूं । गुजरात और राजस्थान जैसी कई जगह आज भी हमारे देश में हैं, जहां बाल विवाह जारी है । छोटी उम्र में ही लड़कियों की शादी हो जाती है । हमारे यहां रबारी, धारण जैसी कम्यूनिटी हैं, जिसमें 10–10, 11–11 साल में ऐसी स्थिति बनती है कि उस समय 16 साल की लड़की, 2 साल की लड़की या 6 महीने की लड़की, सबकी शादियां हो जाती हैं । कई हमारे यहां ऐसे रिवाज हैं, जिन्हें बदलने की जरूरत है । चूंकि लड़की की शादी वहां जल्दी कर दी जाती है, इसलिए उनकी पढ़ाई नहीं हो पाती और जो अभ्यास शुरू किया होता है वह बीच में ही छोड़ देना पड़ता है ।...

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): उर्मिलाबेन जी, हमारे पास टाइम बहुत कम है । प्लीज ।

श्रीमती उर्मिला चिमनभाई पटेल: इससे महिला शिक्षा भी पूरी नहीं होती । एक और भी बात है, जो फैमिली प्लानिंग का है, अब जब छोटी उम्र में शादी होती है तो बच्चे भी लड़की की छोटी उम्र में होना शुरू हो जाते हैं और इससे हमारे इस प्रोग्राम को धोखा लगता है । इसलिए इस बात पर सोच विचार कर बाल विवाह के प्रतिबंधात्मक जो कानून हमारे हैं, उनका अमल होना जरूरी है ।

श्री वीरेन्द्र कटारिया (पंजाब) : मैडम, मैं भी अपने को इससे एसोसिएट करता हूं और जो राजस्थान में खासतौर से इस कानून की उल्लंघना हो रही है, उसकी तरफ भी आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं ।

Dowry deaths

श्रीमती चन्द्र कला पाण्डेय (पश्चिमी बंगाल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदया, आज संसद में हमने भाषा की वरीयता को लेकर जोरदार चर्चा की । इस दिशा में मैं आपका ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहूंगी, भारत के किसी भी प्रांत के किसी भी भाषा का अखबार उठाकर देख लें, तो आज भी दहेज के कारण मरने वालियों की घटनाएं मिलती हैं ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से एक-बार फिर बरसों से चली आती घृणित सामाजिक प्रथा दहेज की ओर मंत्री महोदय का ध्यान खींचना चाहूंगी, जिसके कारण भारत की दो और बेटियां बलजीत कौर और वीरवती, 22 और 21 वर्ष की ही उम्र में मौत की शिकार हो गई । माननीया, विवाह हमारी सामाजिक व्यवस्था में दो प्राणियों का शारीरिक ही नहीं, मानसिक सम्मेल का ही पवित्र प्रतीक है । मैं पूछना चाहती हूं, राष्ट्रीय महिला आयोग और दहेज विरोधी कानून के रहते हुए भी ऐसी घटनाओं के मूल में जो अपराधी हैं उन्हें सख्त सजा क्यों नहीं दी जाती ?

एक बार के बजट में गिफ्ट के रूप में एक लाख रुपए की छूट की घोषणा से दहेज की मांग को बढ़ावा मिला है । अमीर मां बाप तो उपहार में सोने चांदी के हीरे जड़े ताजमहल, जो करोड़ों की कीमत के होते है, सजावट की सामग्री के

[श्रीमती चन्द्र कला पाण्डेय]

रूप में अपनी बेटियों को दे रहे हैं, दूसरी ओर गरीब मां-बाप या तो बेटी का विवाह करने में खुद को असमर्थ पा रहे हैं या करते भी हैं तो उनकी बटी कम दहेज लाने के लिए सुसराल में इतनी सताई जाती है कि उसे जिंदगी की तुलना में मौत अधिक शांतिदायक लगती है और वह अपने अनमोल जीवन को समाप्त कर देती है ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदया, गत 9 मई की रात को दिल्ली साऊथ अनारकली में बलजीत कौर की आत्महत्या इस बात का प्रमाण है । शादी के कुछ दिन बाद ही उसकी सुसराल वालों ने उसे दहेज के लिए सताना शुरु कर दिया था । मारपीट और धमकी से त्रस्त बलजीत ने 9 मई 4-00 P.M. की रात फांसी लगा ली । उससे निरंतर एक लाख रुपए और स्कूटर की मांग की जा रही थी । बलजीत के रिश्तेदारों के बयान पर एस०डी०एम० ने कृष्ण नगर थाने की पुलिस को दहेज-हत्या का मामला दर्ज करने का आदेश जरुर दिया है, पर मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करती हूं कि बलजीत को मरने के लिए मजबूर करने वालों के खिलाफ कोई सख्त कारंवाई की जाए ।

9 मई की ही रात को गुड़गांव में खुद को जलाकर मार डालने वाली वीरवती के पिता ने भी अस्पताल में बयान दिया है कि उनकी बेटी को लगातार एक स्कूटर और कुछ नकद रकम उपहार के रूप मे मांग लेने के लिए धमकाया गया था । इस घटना की भी पर्याप्त जांच के लिए मैं मंत्री महोदय से आश्वासन चाहती हूं । मैं चाहती हूं कि सरकार कोई ऐसी व्यवस्था करे जिससे "विवाह" शब्द के साथ "मौत का पैगाम" भविष्य में न जुड़े । धन्यवाद ।

Right of Tamil Nadu on Kannaki Temple

SHRI S. MUTHU MANI (Tamil Nadu): Madam, I wish to urge upon the Centre to intervene immediately in order to safeguard the right of Tamil Nadu on Kannaki Temple, situated on the border of Tamil Nadu and Kerala.

Kannaki is the celebrated heroine of the Tamil epic, Silappathikaram, who shook the Pandian Kingdom, in her quest for justice. Kannaki epitomises the rich Tamil cultural heritage and her memory is sacred to all the Tamilians.

There is an ancient Kannaki temple on Kumuli hills on Tamil Nadu-Kerala border, near Gudalur in Madurai district of Tamil Nadu. From time immemorial people from all over Tamil Nadu used to visit that temple throughout the year. They also used to celebrate Chitra Paurnami festival for three days in the temple.

But, in the year 1982, the Government of Kerala encroached upon the temple and since then it has been slowly curtailing the rights of the Tamilians to visit the temple. According to the available history and survey of the Department of Forest as also the surveys of the Centre and State, the temple falls within Tamil Nadu limits. Yet, for the last 12 years the Government of Kerala is unmoved and, on the contrary, has been constructing guest houses and watch—towers to make a claim on the temple. It has gone to the extent of putting severe restrictions on the pilgrims as though the Tamilians are foreigners. Now, Tamilians are allowed entry into the temple area only once a year during Chitra Paurnami. They are still not permitted to celebrate it for three days as they did earlier. When thousands of people went to celebrate the occasion on 25th April this year, they were allowed to be in the temple premises only for one day. Even on that day they were allowed only after 10.00 A.M. and were asked to vacate the premises before 6.00 P.M. The pilgrims were not allowed to make decorations, to prepare "pongal" and to go around freely. The Kerala Government had imposed sixteen conditions on them. Fortunately it had not imposed any tax on Tamilians.

Here, I wish to recall that it was this epic drama Silappathikaram which was schedule to be telecast by the Door-